न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर – जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली

प्र0सं0 17/2018 वाद
अन्तर्गत धारा 53,188

उनवान प्रकरण

1. प्रकाशचन्द्र आत्मज पारसमल महाजन (सुराणा) निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार आत्मज पारसमल महाजन (सुराणा) निवासी सहाड़ा हाल निवासी रूम नं0 ए–3 हिमालयया अपार्टमेन्ट, अपोजिट आर0के0 होस्पीटल, 6 रोड टीपीएस 3 शान्ता कुंज (ईस्ट) मुम्बई 400055
2. श्रीमती मीना पुत्री पारसमल सुराणा पत्नि सोहन लाल बोहरा निवासी सहाड़ा हाल निवासी रूम नं0 ए/163, कल्पतरू टावर्स, अकरूली कोस रोड नं0 3, कान्दीवली (ईस्ट) मुम्बई – 4000101
3. कला पुत्री पारसमल सुराणा पत्नि सुशील चौरड़ीया हाल निवासी ए 903 गोविन्द कॉम्पलेक्स (एम0जी0 काम्पलेक्स) सेक्टर नं0 14, वाशी, नवी मुम्बई जिला थाने (महाराष्ट्र) 400703
4. तहसीलदार सहाब मुकाम–गंगापुर जिला–भीलवाडा

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा॰दी॰

निर्णय दिनांक 23.12.2019

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं 1 लगायत तीन की ओर से प्रा.पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी प्रकाश चन्द्र द्वारा प्रतिवादी के विरुद्व ग्राम सहाड़ा की खाता संख्या 549 में वर्णित आराजी संख्या 5109 रकबा 0.27 व खाता संख्या 859 में वर्णित आराजी संख्या 4647, 4976, 5110, 5111/1, 5112, 7567/4648 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7437 हे0 दोनों खातो के लिए विभाजन हेतु एक साथ वाद प्रस्तुत किया है। जबकि काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अगर खातों में हिस्से अलग–अलग है तो विभाजन एक साथ नहीं किया जा सकता

Scanned by CamScanner

इसलिये वादी को दोनों खातों के लिये अलग–अलग वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे उक्त वाद पोषनीय नहीं है। तथा वादी ने खाता संख्या 859 में दर्ज आराजी संख्या 5110 रकबा 0.08 हे0, 5111/1 रकबा 0.2488 हे, 5112 रकबा 0.04 हे0 के लिये ही वाद प्रस्तुत किया जबकि आराजी संख्या 4976/1 रकबा 0.2342 हे0, 7567/4648 रकबा 0.1307 हे0 भूमि के लिये विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा है जबकि उक्त भूमि भी कृषि भूमि है व अभिलेखों में दर्ज रेकार्ड है लेकिन वादीगण ने उक्त नम्बरों को छोड़ते हुए आराजी संख्या 5110, 5111/1, 5112 के लिये विभाजन का वाद प्रस्तुत किया जबकि सम्पूर्ण खाते का एक साथ विभाजन होने का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (5) में जोत के विभाजन के लिए न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार भी उक्त वाद पोषनीय नहीं है। तथा वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादी अधिवक्ता द्वारा पूर्व में जवाब प्रस्तुत किया अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा बहस करने हेतु निवेदन किया गया अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया व निवेदन किया कि उक्त दोनों खातों में पक्षकार वादी व प्रतिवादीगण समान है तथा वादी ने अपने हिस्से का विभाजन चाहा है। दोनों खातों की विषय वस्तु व पक्षकार वादी व प्रतिवादीगण सम्मान होने से एक ही वादपत्र में वादपत्र कानूनन पोषणीय है। तथा उक्त दोनों आराजीयात आबादी बस स्टेण्ड सहाड़ा की आबादी से सटी हुई होकर इनमें कई वर्षों से काश्त नही की जा रही है। जिससे उक्त दोनों आराजियात का विभाजन का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होने से उक्त आराजियात को वादपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त प्रा0पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 का सपरिव्यय खारिज किया जाने बाबत् निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा बहस पर मनन् किया गया। गहन मनन् के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उक्त वर्णित आराजियात दोनों खातो मे से है तथा वादी द्वारा आराजी संख्या 4976/1 रकबा 0.2342 हे0, 7567/4648 रकबा 0.1307 हे0 भूमि के लिये विभाजन का अनुतोष नहीं चाहा है जबकि उक्त भूमि भी कृषि भूमि है। जबकि एक ही वाद में दोनों खातो को प्रस्तुत किया जाना था जिससे उक्त वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रा. पत्र 0–7 R–11 जा0दी0 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएवं

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्र0सं0 17 / 2018 वाद
अन्तर्गत धारा 53,188

:: आदेश ::,

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। एवं प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किये जाने से वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय ग्राम सहाड़ा खाता संख्या 549 में वर्णित आराजी संख्या 5109 रकबा 0.27 व खाता संख्या 859 में वर्णित आराजी संख्या 4647, 4976, 5110, 5111/1, 5112, 7567/4648 जिनकी किस्म कृषि भूमि हैं को छोड़ते हुए वाद प्रस्तुत किया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (5) के प्रावधानों के विपरीत होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शाहपुरा)
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2019.12.23 17:31:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: